

मामलों का विवरण

RELIGARE FINVEST LIMITED v.

एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. का राज्य (आपराधिक अपील सं।2242 2023 का) 11 सितंबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या एक हस्तांतरणकर्ता इकाई-एक उत्तराधिकारी बैंक (डी. बी. एस. बैंक) को समामेलन करने वाली संस्था-पूर्ववर्ती लक्ष्मी विलास बैंक (एल. वी. बी.) के लिए निगमित आपराधिक दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है।

आपराधिक कानून-निगमित आपराधिक दायित्व-जब किसी हस्तांतरणकर्ता संस्था पर लगाया नहीं जा सकता है:

आयोजित किया गया: किसी कंपनी के आपराधिक दायित्व को वास्तव में तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह दंडात्मक कार्यवाही की प्रकृति में न हो-केवल हस्तांतरणकर्ता कंपनी, जो कि तत्काल मामले में डी. बी. एस. बैंक है, द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है-इसके अलावा, समामेलन की प्रत्येक योजना वैधानिक है और बैंकिंग अधिनियम के तहत स्वीकृत है-इस तरह के समामेलन का उद्देश्य बैंकिंग उद्योग के व्यापक सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है-योजना का समग्र उद्देश्य बैंक के बकाया की वसूली सुनिश्चित करना और लेनदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है-वर्तमान मामले में, समामेलन योजना के खंड 3 (3) में कोई संदेह नहीं है, यह उल्लेख किया गया है कि हस्तांतरणकर्ता बैंक-डी. बी. एस. बैंक द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाएगी।

197 198

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

आपराधिक कानून में जिम्मेदारी और जवाबदेही विलय से अप्रभावित बनी हुई है-आरोप पत्र में डी. बी. एस. बैंक की कोई संलिप्तता का खुलासा नहीं किया गया है-उस हद तक आपराधिक कार्यवाही लंबित है, जिसमें डी. बी. एस. शामिल था, जो विवादित फैसले का विषय था और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही (डी. बी. एस. से जुड़ी हद तक), रद्द कर दी गई-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 -एस. 45 (2)-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 409, 120 बी. [पारस 30-32, 34 और 35]

आपराधिक कानून-किसी कंपनी का आपराधिक दायित्व:

आयोजित किया गया: एक कंपनी के आपराधिक दायित्व को मान्यता दी जाती है जहां यह किसी कंपनी या न्यायिक व्यक्तियों के कर्मचारियों, निदेशकों या अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकता है-इसे मान्यता दी जाती है भले ही इसकी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास की अवधि हो-इसके अलावा, दो कंपनियों के एकीकरण का कानूनी प्रभाव हस्तांतरणकर्ता कंपनी (एलवीबी, वर्तमान मामले में) के कॉर्पोरेट अस्तित्व का विनाश है; इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। [पैरा 30]

आपराधिक कानून-रद्द करना-शक्ति का प्रयोग:

आयोजित किया गया: आपराधिक जाँच या कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग हल्के में नहीं किया जाना चाहिए-फिर भी, उस शक्ति का सहारा लेने से इनकार करना, उन मामलों में जिनमें इसकी आवश्यकता होती है या जिसकी मांग हो सकती है, न्याय के प्रति अंधा होना है-वर्तमान मामले में, बैंकिंग उद्योग में जनता का विश्वास दांव पर था, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने कदम रखा, तो रोक लगा दी और डी. बी. एस. को पूर्ववर्ती एल. वी. बी. के पूरे कामकाज, प्रबंधन संपत्तियों और देनदारियों को

संभालने के लिए कहा—एल. वी. बी. अधिकारियों (आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे) के कृत्यों के लिए डी. बी. एस. के अभियोजन की अनुमति देने के परिणामस्वरूप न्याय का उपहास होगा।[पैरा 35]

आपराधिक कानून—निगमित संस्थाओं की देयता—कुछ उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद—पर चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जलपाईगुड़ी और अन्य, [2014] 9 एससीआर 162; इरिडियम इंडिया टेलीकॉम बनाम मोटोरोला इंक, (2010) 14 (अतिरिक्त) एस. सी. आर. 591; एम/एस. जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड बनाम एम. ए

199

विश्वसनीय निवेश सीमित बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य।

एलआर द्वारा खादर (मृत), [1986] 2 एससीआर 607; सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट

लिमिटेड वी.सी. आई. टी., हरियाणा, एच. पी. और दिल्ली, [1990] 1 पूरक एस. सी. आर. 332—पर निर्भर था।

शाम सुंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (1984) 4 एससीसी 630:[1989] 3 एससीआर 886; एम. अब्बास हाजी बनाम टी. एन. चन्नकेशव (2019) 9 एस. सी. सी. 606; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय,

[2005] 1 पूरक।)एस. सी. आर. 49—संदर्भित।

चंपा एजेंसी बनाम आर. चौधरी, 1974 सीएचएन 400; सुनील बनर्जी बनाम कृष्ण नाथ, एआईआर 1949 कैल 689; एके खोसला बनाम वेंकटेशन, (1992) 98 सीआरएलजे 1448 (कैल); एसो स्टैंडर्ड इंक बनाम।उधरम भगवानदास

जापानवाला, [1975] 45 कॉम्प कैस 16 (बॉम); टेस्को सुपरमार्केट लिमिटेड।

बनाम नट्रास, 1971 (2) ऑल ईआर 127; मेरिडियन ग्लोबल फंड्स मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड बनाम प्रतिभूति आयोग, [1995] 3 ऑल ईआर 918; वॉकर

समझौता 1935 (1) Ch. डी. 567; पुनःस्किनर 1958 (3) सभी ई. आर. 273—संदर्भित।

स्ट्राउड का शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश (9 वां संस्करण)।25

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ग्यारहवां संस्करण—संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2242।

2021 के सी. आर. एल. एम. सी. संख्या 3173 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.03.2023 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2243

रूप:

मुकुल आर ओहतगी, जयंत भूषण, जन कल्याण दास, राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित जाजू, सुश्री सुष्मिता गांधी, मलक मनीष भट्ट, सुश्री नीहा नागपाल, सुश्री वत्सला पंत, सुश्री समृद्धि, संदीप देवाशीष दास, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, सुश्री आर. बाला, सचिन शर्मा, भावरपाल सिंह जादोन, डॉ. एन. विशाखामूर्ति, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

200

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश 2 से उत्पन्न होती हैं, जिसमें डी. बी. एस. बैंक इंडिया लिमिटेड (पहली अपील में दूसरा प्रतिवादी/दूसरी अपील में अपीलकर्ता) (इसके बाद "डी. बी. एस.") द्वारा दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दो अपीलों में, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (इसके बाद "शिकायतकर्ता" या "आर. एफ. एल.") और डी. बी. एस. ने विवादित आदेश को चुनौती दी है। अधिक विशिष्ट होने के लिए, उन्हें एक-दूसरे की अपील में दूसरे उत्तरदाता के रूप में भी शामिल किया जाता है।

2. आर. एफ. एल. ने (पूर्ववर्ती) लक्ष्मी विलास बैंक (इसके बाद "एल. वी. बी.") से 791 करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। यह दावा इन आरोपों पर आधारित था कि एल. वी. बी. ने आर. एफ. एल. और उसकी समूह कंपनियों, अर्थात् आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "आर. एच. सी. होल्डिंग") और रॉचेम प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "रॉचेम") द्वारा अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई सावधि जमा ("एफ. डी.") का दुरुपयोग किया।

3. इसके बाद, 23.9.2019 पर, आर. एफ. एल. ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया कि एल. वी. बी. के अधिकारियों ने आर. एच. सी. होल्डिंग और रॉचेम के साथ साजिश रची थी। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 409 और 120 बी (अपराध सं. 1534/2020 के रूप में पंजीकृत) के तहत एफ. आई. आर. 4 दर्ज की गई। एफ. आई. आर. की सामग्री में आरोप लगाया गया है कि आर. एफ. एल. ने अल्पकालिक ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में 750 करोड़ रुपये के संयुक्त मूल्य के साथ चार एफ. डी. जमा किए थे। एल. वी. बी. ने आर. एच. सी. होल्डिंग और रॉचेम को ऋण दिया, इन एफ. डी. का उपयोग प्रतिभूति के रूप में किया। जब आर. एच. सी. होल्डिंग और रॉचेम ने अपने ऋण भुगतान में चूक की, तो एल. वी. बी. ने उचित प्राधिकरण या पूर्व सूचना प्राप्त किए बिना आर. एफ. एल. के चालू खाते से ₹1 करोड़ की राशि काट ली।

4. इस बीच, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के उच्च शुद्ध स्तर के कारण, अपर्याप्त पूंजी से जोखिम (भारित) औसत अनुपात और सामान्य

1 सीआरएल। ए. संख्या 2242/2023 और Cri.A. संख्या 2243/2023। 2 सीआरएल में दिनांकित 24.3.2023। 2021 का एम. सी. सं. 3173। 3 (कॉम.) नं. 940/2018।

4 एफ. आई. आर. सं. 189/2019।

201

रिलीगर फाइनवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 202

इक्विटी टियर-I कैपिटल, परिसंपत्तियों पर दो साल का नकारात्मक रिटर्न, और उच्च लाभ, भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद "RBI") ने LVB को "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई" 5 के तहत रखा।

5. एल. वी. बी. के दस बैंक अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था; हालाँकि, एल. वी. बी. को स्वयं एक आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने 17 सितंबर, 2020 को इन अपराधों का संज्ञान लिया। 6.

6. 17 नवंबर, 2020 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बैंकिंग अधिनियम") की धारा 45 (2) के संदर्भ में एल. वी. बी. पर रोक लगा दी। 25 नवंबर, 2020 को, एल. वी. बी. की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण, केंद्र सरकार ने डी. बी. एस. 8 में अपने गैर-स्वैच्छिक समामेलन का निर्देश दिया।

7. 12 फरवरी, 2021 को एक पूरक आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें एल. वी. बी. का प्रतिनिधित्व इसके निदेशक (अब विलय के बाद डी. बी. एस. बैंक इंडिया लिमिटेड) के माध्यम से बैंक अधिकारियों और आर. एच. सी. होल्डिंग और रैंचेम कंपनियों के साथ एक आरोपी 9 के रूप में किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि एल. वी. बी. और अन्य आरोपी पक्षों ने आर. एफ. एल. से संबंधित धन की हेराफेरी करने की साजिश रची थी। एल. वी. बी. इस ऋण से पर्याप्त लाभ कमाने के लिए खड़ा था, क्योंकि उसने 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एफ. डी. प्राप्त की और फिर प्रत्यक्ष रूप से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से धन उधार दिया। जांच से पता चला कि एल. वी. बी. की कार्रवाई इस आधार पर की गई थी कि आर. एफ. एल., आर. एच. सी. होल्डिंग और रैनकेम एक ही प्रवर्तक के तहत समूह कंपनियाँ थीं। एल. वी. बी. ने आर. एफ. एल. की एफ. डी. के खिलाफ प्रतिभूति बनाई। हालाँकि, इस व्यवस्था के लिए आर. एफ. एल. से उचित प्राधिकरण सुरक्षित नहीं था। एल. वी. बी. द्वारा आर. एच. सी. होल्डिंग को दिए गए ऋण और आर. एफ. एल. की एफ. डी. के खिलाफ रॉचेम का उपयोग अंततः आर. एच. सी. होल्डिंग द्वारा किया गया। नतीजतन,

5 शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पी. सी. ए.) ढांचा उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए है और पर्यवेक्षित संस्था को समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति को बहाल किया जा सके। पी. सी. ए. फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना भी है। पी. सी. ए. ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक को कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है क्योंकि वह ढांचे में निर्धारित सुधारात्मक कार्यों के अलावा किसी भी समय ऐसा नहीं मानता है। 6 अपराध मामला सं. 1534/2020, जिसका शीर्षक राज्य बनाम राज्य है। मालविंदर मोहन सिंह।

7 अधिस्थगन आदेश दिनांक 17.11.2020।

8 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 (7) के तहत। अपराध सं. 1534/2020 में 9.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जब आर. एच. सी. होल्डिंग एल. वी. बी. को ऋण चुकाने में विफल रही, तो आर. एफ. एल. की एफ. डी. को एल. वी. बी. द्वारा बकाया ऋण राशि के बदले समायोजित किया गया। नतीजतन, यह देखा गया कि आर. एफ. एल. की निधि के वास्तविक लाभार्थी, जिनकी राशि <आई. डी. 1 करोड़ थी, आर. एच. सी. होल्डिंग थी। आर. एफ. एल. से स्पष्ट प्राधिकरण का समर्थन करने वाले पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में यह आरोप लगाया गया कि एल. वी. बी. ने प्रवर्तक के व्यक्तिगत लाभ के लिए धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।

8. इस तरह, एल. वी. बी. ने 729 करोड़ रुपये की एफ. डी. को रद्द कर दिया और ब्याज में 115 करोड़ रुपये की कमाई करके भी लाभान्वित हुआ। यह आरोप लगाया गया था कि इसमें शामिल पक्षों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत से काम किया और शिकायतकर्ता कंपनी को धोखा देने की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कमीशन और चूक के कार्य किए।

9. डी. बी. एस. (अभियुक्त संख्या 12 के रूप में पहचाने जाने वाले) को 16.2.2021 पर समन जारी किए गए थे। पीड़ित, डी. बी. एस. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक विविध मामला 10 दायर किया, जिसमें दिनांकित पूरक आरोप पत्र और दिनांकित समन आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि गैर-स्वैच्छिक समामेलन योजना के कारण एल. वी. बी. का अस्तित्व समाप्त हो गया था और डी. बी. एस. को उस इकाई के कृत्यों और चूक के लिए अभियोजन का सामना नहीं करना चाहिए, जिसके साथ उसका विलय हुआ था, जैसा कि भारत सरकार और आर. बी. आई. द्वारा निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, समामेलन योजना के खंड 3 (3) में एल. वी. बी. के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान है और इसलिए, दायित्व का श्रेय बचावकर्ता बैंक को नहीं दिया जाना चाहिए।

10. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा कि इस स्तर पर डी. बी. एस. के खिलाफ समन आदेश को रद्द करने से योजना के उद्देश्य में बाधा आ सकती है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना में डी. बी. एस. बैंक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को कम करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अदालत ने संबंधित पक्षों को योजना के खंड 3 (3) की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया

हस्तांतरणकर्ता बैंक के खिलाफ गठित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में, यदि इसे हस्तांतरणकर्ता बैंक को आगे बढ़ाया जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक से विलय के बाद नहीं।

इसके अलावा, अदालत ने फरवरी में जारी समन आदेश पर रोक लगा दी।

10 सीआरएल। एम. सी. सं. 3173/21। 11 प्रारंभिक एफ. आई. आर. सं. 189/2019।

203

रिलीगर फाइनेवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 204

16, 2021, डी. बी. एस. बैंक के खिलाफ तब तक के लिए जब तक कि आर. बी. आई. द्वारा स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाता। डी. बी. एस. ने इस अदालत में अपील की, जो विवादित आदेश द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने से व्यथित है; आर. एफ. एल. की अपील इस बिंदु तक सीमित है कि अदालत को आर. बी. आई. द्वारा विचार के लिए मुद्दे को स्थगित नहीं करना चाहिए था और रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर देना चाहिए था, और समन आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए थी।

आर. एफ. एल. के विवाद

11. आर. एफ. एल. के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी का तर्क है कि उच्च न्यायालय को समन आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए थी, विशेष रूप से जब उसने कहा कि डी. बी. एस. के खिलाफ समन आदेश को रद्द करना जनहित में नहीं होगा। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश दिनांक 17.12.2021 में इस तरह के अंतरिम उपाय से इनकार किया था।

12. यह तर्क दिया गया कि स्पष्टीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने का निर्देश मूल याचिका के दायरे से बाहर है क्योंकि डी. बी. एस. ने स्पष्टीकरण के लिए पक्षों को भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने के लिए अपनी रद्द करने की याचिका में जोर नहीं दिया या राहत नहीं मांगी। यह निर्देश अनिवार्य रूप से शामिल पक्षों पर एक नया दायित्व लागू करता है। यदि उच्च न्यायालय ने आर. बी. आई. की राय लेना आवश्यक समझा, तो उसे आदर्श रूप से आर. बी. आई. को एक आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल करना चाहिए था। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठ सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय समामेलन योजना के खंड 3 (3) की व्याख्या के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्षों को ध्यान में रखने में विफल रहा, अर्थात् -

“15. अब, यदि कोई विलय योजना के खंड 3 के उपखंड 3 का अवलोकन करता है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि याचिकाकर्ता कंपनी पर मुकदमा चलाने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि उक्त योजना के प्रावधान में निर्दिष्ट रूप से कहा गया है कि

हस्तांतरणकर्ता बैंक के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण या किसी भी प्रकार की कोई अन्य कार्यवाही कम नहीं होगी, लेकिन हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। उपखंड 3 का परंतुक केवल निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अंतरिती बैंक का अन्य कर्मचारी प्रतीत होता है जिसने वास्तव में आपराधिक अपराध किया है।"

13. आर. एफ. एल. ने तर्क दिया कि किसी कंपनी के विलय पर आपराधिक कार्यवाही स्वचालित रूप से कम नहीं होती है। एल. वी. बी. को अवैध लेनदेन से लाभ हुआ, और डी. बी. एस. को एल. वी. बी. की परिसंपत्तियों से लाभ हुआ, जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

इसमें आर. एफ. एल. की सावधि जमाओं से प्राप्त अनुचित धन भी शामिल था। इसके अलावा, योजना के खंड 3 (3) में आपराधिक जवाबदेही की धारणा को शामिल किया गया है, और हस्तांतरणकर्ता बैंक में आपराधिक दायित्व के हस्तांतरण पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्च न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित करता है, और इसके बजाय, समामेलन योजना की व्याख्या करने के लिए एक बाहरी निकाय को शामिल करने की आवश्यकता होती है। अंत में, चूंकि मुकदमा अपने शुरुआती चरण में है, अनिश्चितकालीन रोक से मुकदमे की प्रक्रिया में और देरी होगी।

डी. बी. एस. के विवाद

14. वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री जयंत भूषण ने तर्क दिया कि आरोप पत्र में उल्लिखित कार्य समामेलन की निर्धारित तिथि, यानी 27.11.2020 से बहुत पहले हुए थे। एल. वी. बी. को निर्धारित तिथि से पहले अभियुक्त के रूप में नहीं फंसाया गया था और केवल पूरक आरोप पत्र में जोड़ा गया था। विलय से पहले, एल. वी. बी. का डी. बी. एस. से कोई संबंध नहीं था। एल. वी. बी. एक ही समूह या किसी भी क्षमता में डी. बी. एस. से संबद्ध या किसी भी तरह से जुड़े बिना एक अलग और अलग इकाई के रूप में अस्तित्व में था। समामेलन योजना के खंड 7 (2) के संदर्भ में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

15. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि केवल वास्तविक गलत काम करने वाले को ही उसके गलत काम के लिए दंडित किया जा सकता है, और किसी हस्तांतरणकर्ता कंपनी को कोई प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व विरासत में नहीं मिल सकता है। रिलायंस था

शाम सुंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 12 और मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जलपाईगुड़ी और अन्य। 13.

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने उसी उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित एक बाध्यकारी फैसले को गलत तरीके से नजरअंदाज/खारिज कर दिया है।

निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड बनाम एस. सुंदरनायगम 14 समान रूप से पारित हुआ।

ऐसी परिस्थितियां, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी समामेलन में अंतरिती कंपनी को कोई प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व नहीं दिया जा रहा था, जहां योजना का प्रासंगिक खंड कमोबेश समान था:

"पूर्व-उल्लिखित न्यायिक निर्णयों से जो कानूनी स्थिति उभरती है, वह यह है कि दो कंपनियों के बीच समामेलन पर, हस्तांतरणकर्ता

12 (1989) 4 एससीसी 630।

13 2014 (9) एससीआर 162।

रिलीगर फाइनवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 206

कंपनी की सिविल मृत्यु हो जाती है और समामेलन के बाद विकसित हुई इकाई पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।[...] जहाँ तक राज्य के वकील द्वारा खंड 8 पर भरोसा करने का संबंध है, वही कानूनी कार्यवाही के हस्तांतरण से संबंधित है।खंड में यह विचार नहीं किया गया है कि पूर्ववर्ती कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व याचिकाकर्ता कंपनी को हस्तांतरणीय होगा।"

16. यह प्रस्तुत किया गया कि समामेलन के बाद, विशेष रूप से, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समामेलन की एक गैर-स्वैच्छिक योजना, एल. वी. बी. का अस्तित्व समाप्त हो गया और एल. वी. बी. के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।हस्तांतरण नागरिक दायित्व से संबंधित था, जिसमें हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि आपराधिक कार्यवाही को एक अनुबंध या कानून के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, एक योजना द्वारा तो छोड़िए।इसी तरह, इसने एम. अब्बास हाजी बनाम टी. एन. चन्नकेशव 15 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा कि एक स्वाभाविक व्यक्ति के मामले में भी जहां एक आरोपी व्यक्ति की मृत्यु पर, आपराधिक कार्यवाही कानूनी उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों को नहीं दी जाती है।

17. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय का विदेशी मामलों पर भरोसा करना गलत था कि एक हस्तांतरणकर्ता कंपनी आपराधिक दायित्व का सामना कर सकती है क्योंकि उन निर्णयों को भारत से अलग कानूनी व्याख्याओं पर विचार करके दिया गया था।

18. यह प्रस्तुत किया गया कि सरकार की एक शाखा, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने एल. वी. बी. के जमाकर्ताओं, कर्मचारियों और अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग अधिनियम की धारा 45 (7) के तहत योजना तैयार करके सक्रिय कदम उठाए, लेकिन सरकार की दूसरी शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया गया है, एल. वी. बी. के पिछले कार्यों के लिए डी. बी. एस. के खिलाफ आपराधिक दायित्व लागू करके प्रक्रिया को दूषित नहीं कर सकती है।

19. इसके अलावा, डी. बी. एस. ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर. एफ. एल. ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आर. बी. आई. से एक व्याख्या आवश्यक थी और न्यायालय को इस मामले पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।आरएफएल

15 (2019) 9 एससीसी 606।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दिनांकित 09.01.2022 उत्तर में प्रस्तुत किया गया, निम्नलिखित:

"21. समामेलन योजना के खंड 13 के अनुसार, इसमें की गई प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि योजना के प्रावधानों की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उस मामले में मामला उठाया जाना चाहिए और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाना चाहिए।

इसलिए, वर्तमान अपील के माध्यम से, आर. एफ. एल. विवादित आदेश का विरोध करते हुए गर्मजोशी से कह रहा है कि इस तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी और समन आदेश पर रोक लगाना गलत है।

20. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आदेश के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांकित पत्र 14.06.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया कि हस्तांतरणकर्ता बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही हस्तांतरणकर्ता को आगे नहीं बढ़ाई जाती है।

विश्लेषण

21. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चर्चा करने और उनसे निपटने से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित समामेलन योजना के प्रावधानों को निकालना उपयोगी होगा। समामेलन अधिसूचना का खंड 3 (3) इस प्रकार है:

“3. परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण और उनके सामान्य प्रभाव।—

(1)–(2) XXXXXX

(3) यदि नियत तिथि पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण (संदेह से बचने के लिए, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण सहित) के समक्ष किसी भी प्रकार की कार्रवाई, वाद, फरमान, वसूली प्रमाण पत्र, अपील या अन्य कार्यवाही का कोई कारण लंबित है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और लागू किया जाएगा: बशर्ते कि जहां किसी कानून या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किसी आपराधिक अपराध के लिए किया गया है या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है, तो निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या हस्तांतरणकर्ता बैंक के अन्य कर्मचारी निर्धारित तिथि से पहले, ऐसे 207

रिलीगर फाइनवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 208

निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे और तदनुसार दंडित होंगे, जैसे कि हस्तांतरणकर्ता बैंक, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, भंग नहीं किया गया था।”

बैंकिंग अधिनियम की धारा 45 (5) (ई) इस प्रकार है:

“45. रिजर्व बैंक की किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा व्यवसाय के निलंबन और पुनर्निर्माण या एकीकरण की योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने की शक्ति।—

(1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में या किसी अन्य कानून या [किसी समझौते या अन्य साधन] में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कुछ समय के लिए लागू होने पर, जहां रिजर्व बैंक को ऐसा करने का उचित कारण दिखाई देता है, रिजर्व बैंक [किसी बैंकिंग कंपनी] के संबंध में स्थगन के आदेश के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है।

(2) से (4) XXX

(5) उपरोक्त योजना में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान हो सकते हैं, अर्थात्:—

(ई) योजना के प्रावधानों के अधीन, बैंकिंग कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ उसके पुनर्निर्माण पर या, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा, [पुनर्निर्माण या समामेलन] से तुरंत पहले बैंकिंग कंपनी के खिलाफ लंबित किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही को जारी रखना।

वर्तमान मामले में विलय योजना का खंड 13, यानी विवादों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्याख्या से संबंधित, इस प्रकार है:

“13. इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या।— यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है

इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या में, मामला रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा और इस मुद्दे पर उसके विचार सभी संबंधितों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी होंगे।”

22. जैसा कि तथ्यात्मक विवरण और उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है, जिस मुद्दे से यह अदालत संबंधित है, वह यह है कि क्या हस्तांतरणकर्ता इकाई (यहां, एक उत्तराधिकारी बैंक) को निगमित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उन अपराधों के लिए आपराधिक दायित्व, जिनके लिए समामेलन करने वाली संस्था—पूर्ववर्ती एल. वी. बी. पर आरोप लगाया जाता है।

23. निगमित संस्थाओं के दायित्व के बारे में कुछ उच्च न्यायालयों के बीच कुछ मतभेद थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का विचार था कि केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही इरादे या “मेन्स रिया” के साथ जोड़ा जा सकता है। नतीजतन, एक कंपनी जैसे न्यायिक व्यक्ति को आपराधिक इरादे से आरोपित नहीं किया जा सकता था [संदर्भ चंपा]

एजेंसी बनाम आर. चौधरी 16, सुनील बनर्जी बनाम कृष्ण नाथ 17 और ए. के. खोसला

v. वेंकटेशन 18]। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अलग राय व्यक्त की और यूनाइटेड किंगडम के घटनाक्रम पर ध्यान दिया। एस्सो स्टैंडर्ड इंक. बनाम। उधरम भगवानदास जापानवाला 19 दलीलें अदालत के समक्ष पेश की गईं कि क्या किसी कंपनी के पास पुरुष अधिकार हो सकते हैं, और वास्तव में, एट्रिब्यूशन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी, सटीक सवाल यह है कि किसके पुरुष अधिकार का श्रेय कंपनी को दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संबंधित निर्णय निर्माता पर किसी कंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी का पता लगाने या उसे अंकित करने के लिए पुरुष अधिकार का एक सख्त परीक्षण आवश्यक था। न्यायालय ने लॉर्ड डिप्लॉक के तर्क को स्वीकार करते हुए इस तर्क को अपनाया।

टेस्को सुपरमार्केट लिमिटेड बनाम में राय। नट्रास 20, निम्नलिखित सहित

प्रासंगिक टिप्पणियाँ:

“इसलिए, मेरे विचार में, यह प्रश्न है: अपने व्यवसाय के दौरान किए गए कार्यों के उद्देश्य से कंपनी को कानूनी रूप से कौन से स्वाभाविक व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें सावधानी बरतना और आपराधिक अपराध से बचने के लिए उचित परिश्रम करना शामिल है, उन स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान करके पाया जाना चाहिए जिन्हें ज्ञापन और संघ के लेखों द्वारा या निदेशकों द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, या लेखों के अनुसार सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा कंपनी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सौंपा गया है।” मेरिडियन ग्लोबल फंड्स मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड बनाम प्रतिभूति

आयोग 21, एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया गया:

16 1974 सीएचएन 400। 17 एयर 1949 कैल 689।

18 1992 (98) सी. आर. एल. जे. 1448 (कैल)। 19 [1975] 45 कम्प कैस 16 (बम)। 20 1971 (2) सभी ई. आर. 127।

21 [1995] 3 सभी ई. आर. 918।

“एट्रिब्यूशन के ये प्राथमिक नियम स्पष्ट रूप से एक कंपनी को दुनिया में जाने और व्यवसाय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कंपनी की ओर से प्रत्येक कार्य से बोर्ड के संकल्प या शेयरधारकों के सर्वसम्मत निर्णय का विषय होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए कंपनी एट्रिब्यूशन के सामान्य नियमों का उपयोग करके एट्रिब्यूशन के प्राथमिक नियमों का निर्माण करती है जो प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, अर्थात् एजेंसी के सिद्धांत। यह ऐसे कर्मचारियों और एजेंटों की नियुक्ति करेगा जिनके कार्य, एजेंसी के सामान्य सिद्धांतों और कंपनी के प्राथमिक नियमों के संयोजन से, कंपनी के कार्यों के रूप में गिने जाते हैं। और ऐसा करने के बाद, यह स्वयं को उन सामान्य नियमों के अधीन भी बना देगा जिनके द्वारा दूसरों के कार्यों के लिए दायित्व को प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि अनुबंध में बहिष्कृत या प्रत्यक्ष प्राधिकरण और प्रत्यावर्ती दायित्व या अपकृत्य।

इस स्तर पर रुकना उचित है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या एक स्पष्ट बिंदु लग सकता है। किसी कंपनी ने क्या किया है या नहीं किया है, या क्या कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस बारे में कोई भी बयान अनिवार्य रूप से एट्रिब्यूशन के नियमों (प्राथमिक और सामान्य) का संदर्भ है क्योंकि वे उस कंपनी पर लागू होते हैं। न्यायाधीश कभी-कभी कहते हैं कि एक कंपनी 'के रूप में' कुछ भी नहीं कर सकती है; इसे नौकरों या एजेंटों द्वारा कार्य करना चाहिए। यह एक असाधारण, यहाँ तक कि मामूली टिप्पणी भी लग सकती है। और निश्चित रूप से अर्थ आमतौर पर पूरी तरह से स्पष्ट होता है। लेकिन एक कंपनी 'के रूप में' के संदर्भ से यह पता चल सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे कंपनी कहा जाता है जिसके बारे में कोई सार्थक रूप से कह सकता है कि वह कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। वास्तव में कंपनी जैसी कोई चीज नहीं है, केवल लागू नियम हैं। यह कहने का कि एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, इसका मतलब केवल यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका उस कार्य को करना, आरोपण के लागू नियमों के तहत, कंपनी के एक अधिनियम के रूप में गिना जाएगा।

एजेंसी के सामान्य सिद्धांतों, प्रत्यावर्ती दायित्व आदि के साथ कंपनी के एट्रिब्यूशन के प्राथमिक नियम आमतौर पर अपने अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में, वे कोई जवाब नहीं देंगे। ऐसा तब होगा जब कानून का कोई नियम, या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से, एजेंसी या प्रत्यावर्ती दायित्व के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर आरोपण को बाहर करता है। उदाहरण के लिए, एक नियम को भाषा में कहा जा सकता है जो मुख्य रूप से एक प्राकृतिक व्यक्ति पर लागू होता है और इसके लिए कुछ अधिनियम या राज्य की आवश्यकता होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अपने सेवकों या एजेंटों के विपरीत उस व्यक्ति 'स्वयं' की ओर से मन का। यह आम तौर पर आपराधिक कानून के नियमों के बारे में सच है, जो आम तौर पर केवल प्रतिवादी के स्वयं के कारण और पुरुष कारण के लिए दायित्व अधिरोपित करते हैं। इस तरह का नियम किसी कंपनी पर कैसे लागू किया जाता है? एक संभावना यह है कि अदालत इस निष्कर्ष पर आ सकती है कि इस नियम का उद्देश्य कंपनियों पर लागू होना बिल्कुल भी नहीं था; उदाहरण के लिए, एक ऐसा कानून जिसके लिए एक ही दंड सामुदायिक सेवा था। एक अन्य संभावना यह है कि अदालत कानून की व्याख्या इस अर्थ में कर सकती है कि यह किसी कंपनी पर केवल उसके आरोपण के प्राथमिक नियमों के आधार पर लागू हो सकता है, यानी यदि दायित्व को जन्म देने वाला कार्य बोर्ड के प्रस्ताव या शेयरधारकों के सर्वसम्मत समझौते द्वारा निर्दिष्ट रूप से अधिकृत था। लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जिनमें इनमें से कोई भी समाधान संतोषजनक नहीं है; जिसमें अदालत का मानना है कि कानून का उद्देश्य कंपनियों पर लागू होना था और यह कि, हालांकि यह सामान्य प्रत्यावर्ती दायित्व को बाहर करता है, आरोपण के प्राथमिक नियमों पर जोर देना व्यवहार में उस इरादे को विफल कर देगा। ऐसे मामले में, अदालत को विशेष मूल नियम के लिए आरोपण का एक विशेष नियम बनाना चाहिए। यह हमेशा व्याख्या का विषय है: यह देखते हुए कि यह एक कंपनी को लागू करने का इरादा था, यह कैसे लागू करने का इरादा था? किसके कार्य (या ज्ञान, या मन की स्थिति) को इस उद्देश्य के लिए कंपनी के कार्य आदि के रूप में गिनने का इरादा था? नियम

की भाषा (यदि यह एक कानून है) और इसकी सामग्री और नीति को ध्यान में रखते हुए, व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों को लागू करके इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।'

लॉर्ड हॉफमैन ने अपनी राय में कहा कि:

"..उनके अधिपति खुद को यह समझने से बचना चाहेंगे कि जब भी किसी कंपनी के किसी कर्मचारी को उसकी ओर से कोई कार्य करने का अधिकार है, तो उस अधिनियम का ज्ञान सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी को दिया जाएगा। यह प्रत्येक मामले में निर्माण का सवाल है कि क्या विशेष नियम के लिए यह आवश्यक है कि कोई कार्य किया गया है या जिस मानसिक स्थिति के साथ किया गया है, उसका श्रेय कंपनी को दिया जाना चाहिए। कभी-कभी, जैसा कि तैयार मिश्रित कंक्रीट की पुनः आपूर्ति (संख्या 2) [1995] 1 ए. सी. 456 और इस मामले में, यह उचित होगा।.....दूसरी ओर, यह तथ्य कि एक कंपनी का कर्मचारी लॉरी चलाने के लिए अधिकृत है, अपने आप में 211 का कारण नहीं बनता है।

रिलीगर फाइनेवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 212

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि वह लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी को मारता है, तो कंपनी हत्या का दोषी होगी। कोई विसंगति नहीं है। प्रत्येक एक विशेष उद्देश्य के लिए एक एट्रिब्यूशन नियम का एक उदाहरण है, जो हमेशा मूल नियम के नियमों और नीतियों के अनुरूप होना चाहिए।"

24. इस अदालत ने इरिडियम इंडिया टेलीकॉम बनाम में इस मुद्दे पर विचार किया।

मोटोरोला इंक 22 और अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित किया कि: "38. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक निगम वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के समान स्थिति में है और उसे सामान्य कानून के साथ-साथ वैधानिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जिसमें पुरुष अधिकार की आवश्यकता भी शामिल है। निगम का आपराधिक दायित्व तब उत्पन्न होता है जब निगम के व्यवसाय के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके व्यवसायों के नियंत्रण में कोई अपराध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का स्तर और नियंत्रण इतना तीव्र है कि एक निगम को व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के माध्यम से सोचने और कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।"

इससे पहले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय 23 मामले में संविधान पीठ के फैसले में अदालत ने धारा 11 का उल्लेख किया था

आई. पी. सी., जो "व्यक्ति" को परिभाषित करता है। "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

न्यायालय ने 41 वें और 47 वें विधि आयोग की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया। विधि आयोग ने कहा था कि

"प्रत्येक मामले में जिसमें अपराध केवल कारावास या कारावास से दंडनीय है और बंद करने वाला एक कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों का एक संघ है, वह अदालत के लिए ऐसे बंद करने वाले को केवल बंद करने के लिए सजा देने के लिए सक्षम होगा।"

न्यायाधीशों ने बहुमत में कहा कि सभी दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, इस अर्थ में कि अदालत को यह देखना चाहिए कि अपराध के रूप में आरोपित वस्तु उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जिस शरारत को संबोधित किया जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य को शामिल करने का इरादा होना चाहिए और यदि सोचा जाए तो इसे शामिल करना होगा। इसके अलावा, अन्य सभी कानूनों की तरह सभी दंडात्मक प्रावधानों को

22 [2010] 14 (एडीडीएल.) एससीआर 591। 23 2005 [सप्लीमेंट] (1) एससीआर 49।

[2023] 12 एस सी आर।

व्यक्त विधायी इरादे के संदर्भ में उचित रूप से समझा जाए। उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए निगमित निकायों पर मुकदमा चलाने का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट था, और कानून का इरादा उन्हें अभियोजन से दोषमुक्त करने का नहीं था। इसलिए, अदालत ने कहा कि यह सामान्य समझ के लिए हिंसा होगी कि विधायिका का इरादा कॉर्पोरेट निकायों को छोटे और मूर्खतापूर्ण अपराधों के लिए दंडित करना है, जबकि साथ ही, बड़े और गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए अभियोजन की प्रतिरक्षा को बढ़ाना है।

25. स्ट्राउड 24 के अनुसार, "समामेलन" "दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक में वेलिंग या सम्मिश्रण है।" इसमें यह भी कहा गया है कि "जहां संबंधित कंपनियां अलग-अलग इकाइयां रखती हैं, वहां कोई सामामेलन नहीं होता है"।

ब्लैक 25 सामामेलन को "संयोजन या एकजुट करने के कार्य" के रूप में परिभाषित करता है।

एक नई कंपनी बनाने के लिए दो छोटी कंपनियों का एकीकरण

निगम>. "कंपनी अधिनियम, 2013 में सामामेलन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है; बल्कि यह सामामेलन की प्रक्रिया को रेखांकित और विनियमित करता है और इसके कानूनी प्रभाव को बताता है, जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरणकर्ता कंपनी की निगमित पहचान समाप्त हो जाती है।" वॉकर के सेटलमेंट 27 में, 'समामेलन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"'समामेलन' शब्द का कोई निश्चित कानूनी अर्थ नहीं है। यह ऐसी स्थिति पर विचार करता है जिसके तहत 2 कंपनियों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वे एक तीसरी इकाई बना सकें या एक कंपनी को दूसरी कंपनी में अवशोषित कर लिया जाए और उसके साथ मिलाया जाए।"

इन रेस्किनर 28 ने भी सामामेलन योजनाओं और उनके प्रभाव का उल्लेख इस प्रकार किया:

"... कंपनी अधिनियम 1948 की धारा 206 और धारा 208 के आधार पर बनाई गई योजनाएं और आदेश केवल ऐसे अधिकारों, शक्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं,

24 स्ट्राउड का शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश (9 संस्करण)। 25 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ग्यारहवां संस्करण।

26 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 सामामेलन की योजना की स्वीकृति के परिणाम को रेखांकित करती है:

"(8) उप-धारा (3) या उप-धारा (7) के तहत योजना के पंजीकरण को परिसमापन की प्रक्रिया के बिना हस्तांतरणकर्ता कंपनी के विघटन का प्रभाव माना जाएगा।"

27 1935 (1) च. डी. 567. 28 1958 (3) सभी ई. आर. 273।

213

रिलीगर फाइनेवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 214

शुल्क और संपत्ति जो किसी पक्ष द्वारा योजना में कानूनी रूप से हस्तांतरित किए जाने में सक्षम हैं, यदि कंपनी अधिनियम की ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है। किसी योजना में यह आवश्यक नहीं है कि विशिष्ट रूप से ऐसी चीजों को इसके संचालन से बाहर रखा जाए जो योजना में सामान्य शब्दों के रूप में इस तरह के हस्तांतरण में असमर्थ हों और आगे बढ़ने के लिए किसी भी आदेश को इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए कि वह इंग्लैंड के सामान्य कानून के प्रतिकूल न हो।"

26. मेसर्स जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कं. लिमिटेड बनाम। एम. ए. खादर

(मृत) एल. आर. के 29 द्वारा, दो कंपनियों के विलय के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो कंपनियों के समामेलन के बाद, हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कोई भी इकाई समाप्त हो जाती है, और समामेलित कंपनी एक नया दर्जा प्राप्त करती है, और दोनों कंपनियों को भागीदार के रूप में या उनकी देनदारियों और परिसंपत्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानना संभव नहीं है।

27. आयकर देयता के संदर्भ में, यह न्यायालय, सरस्वती में

औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., हरियाणा, एच. पी. और दिल्ली 30 ने पाया कि: "समामेलन का वास्तविक प्रभाव और चरित्र काफी हद तक विलय की शर्तों और योजनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब दो कंपनियां विलय करती हैं और एक में विलय हो जाती हैं तो हस्तांतरणकर्ता कंपनी अपनी इकाई खो देती है क्योंकि वह अपना व्यवसाय करना बंद कर देती है। हालाँकि, उनके संबंधित अधिकार या देनदारियाँ समामेलन की योजना के तहत निर्धारित की जाती हैं, लेकिन हस्तांतरणकर्ता कंपनी की निगमित इकाई समामेलन को प्रभावी बनाने की तारीख से प्रभावी होने के साथ अस्तित्व में नहीं रहती है।"

28. मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि

आयुक्त, जलपाईगुड़ी और अन्य 31. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 ("ई. पी. एफ. अधिनियम") के तहत भविष्य निधि बकाया का भुगतान करने में चूक से जुड़ा एक मामला था। इस मामले में, मथुरा टी एस्टेट के स्वामित्व वाली सरोदा टी कंपनी लिमिटेड ई. पी. एफ. अधिनियम के दायरे में थी। वसूली और दंड की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मथुरा टी एस्टेट (सरोदा टी कंपनी लिमिटेड और एस्टेट के स्वामित्व सहित) का पूरा प्रबंधन एवरेडी इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ले लिया गया था।

29 1986 (2) एससीआर 607।

30 1990 पूरक (1) एस. सी. आर. 332। 31 2014 (9) एससीआर 162।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जिसने प्रमुख ई. पी. एफ. देयता का निर्वहन किया लेकिन अस्वीकार करने की मांग की

जुर्माना (ई. पी. एफ. योगदान भेजने या जमा करने की आवश्यकता का पालन न करने के लिए)। इस अदालत ने यह देखते हुए अपनी स्थिति को नकार दिया कि अधिग्रहण दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दायित्व का उल्लेख किया गया है और इसे मैकलियोड रसेल के दायित्व के रूप में कैसे माना जाना चाहिए:

"13. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि आपराधिक दायित्व वास्तविक अपराधी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है और इसे व्यक्तियों के बीच या यहां तक कि कानून द्वारा किसी भी समझौते द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह निर्विवाद कानूनी सिद्धांत अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण के इस तर्क का समर्थन या पुष्टि नहीं करता है कि ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 14 बी के संदर्भ में लगाए गए नुकसान को उनके मुवक्किलों पर थोपा नहीं जा सकता है। ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 14, 14 ए, 14 एए, 14 एबी और 14 एसी अभियोजन को अभिनिर्धारित करने वाले प्रावधान हैं; इसके विपरीत धारा 14 बी "नियोक्ता से जुर्माने के रूप में ऐसे नुकसान की वसूली करने की शक्ति पर विचार करती है, जो बकाया राशि से अधिक नहीं है, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।" यह सच है कि यह एक नदी नहीं है, बल्कि एक मात्र नदी है जो नुकसान या क्षतिपूर्ति नुकसान या अनुकरणीय नुकसान या निवारक नुकसान या दंडात्मक नुकसान या प्रतिशोधात्मक नुकसान की कानूनी अवधारणाओं को अलग और अलग करती है। हम इस सम्मोहक कानूनी नोडस पर एक शोध प्रबंध लिखने से बचेंगे; सिवाय यह स्पष्ट करने के कि आधुनिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि दंडात्मक हर्जाने को लागू करने का सहारा लिया जा

सकता है, जो चरित्र में सर्वोत्कृष्ट रूप से अर्ध-आपराधिक है, ताकि जानबूझकर गलत काम को रोकने के लिए दीवानी कार्यवाही में भी गलत काम करने वाले का एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण बनाया जा सके। हमें लगता है कि ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 14 बी का यह आवश्यक उद्देश्य है और इसकी सीमा के भीतर एक अधिरोपण आपराधिक अभियोजन नहीं मानता है ताकि जहां तक एक प्रबंधन/नियोक्ता से उसके उत्तराधिकारी को प्रतिष्ठान के हस्तांतरण का संबंध है, वह प्रतिबंधित हो।"

29. श्याम सुंदर बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) में, एक का दायित्व

साझेदारी फर्म, जो अपने भागीदारों के व्यक्तिगत आपराधिक कृत्यों के लिए प्रत्येक भागीदार की एजेंसी पर आधारित थी, को नकार दिया गया था:

"9. लेकिन हम दंडात्मक प्रावधान के तहत आपराधिक दायित्व से चिंतित हैं न कि नागरिक दायित्व से। दंडात्मक प्रावधान का पहले स्थान पर सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। दूसरा, आपराधिक कानून में कोई प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं है जब तक कि कानून उसे भी अपने दायरे में नहीं लेता है। धारा 215

रिलीगर फाइनेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 216

10 इस तरह के दायित्व का प्रावधान नहीं करता है। चाहे वे व्यापार करें या न करें, यह सभी भागीदारों को जोखिम के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है।"

30. अतः यह ध्यान देने योग्य है कि किसी कंपनी का आपराधिक दायित्व

(क) मान्यता प्राप्त है जहां यह किसी कंपनी या न्यायिक के कर्मचारियों, निदेशकों या अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

व्यक्ति (टेस्को, मेरिडियन ग्लोबल फंड्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इरिडियम)

(बी) मान्यता प्राप्त है भले ही इसकी दोषसिद्धि का परिणाम एक अवधि में हो

कारावास (मेरिडियन, इरिडियम);

(ग) वास्तव में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि यह दंड कार्यवाही की प्रकृति में हो (मैकलियोड रसेल)

(घ) दो कंपनियों के विलय का कानूनी प्रभाव हस्तांतरणकर्ता कंपनी (इस मामले में, एल. वी. बी.) के निगमित अस्तित्व का विनाश है; इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

(ई) कि इसके अलावा, केवल परिभाषित कानूनी कार्यवाही, हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा सफल होती है, जो इस मामले में डी. बी. एस. बैंक 32 है। 31. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में योजना के खंड 3 (3) में कोई संदेह नहीं है कि हस्तांतरणकर्ता बैंक (डी. बी. एस. बैंक पढ़ें) द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाएगी। हालाँकि, इस परंतु पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है:

"3. परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण और उनका सामान्य प्रभाव।—

(1)–(2) XXXXXX

(3) यदि नियत तिथि पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण (संदेह से बचने के लिए, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण सहित) के समक्ष किसी भी प्रकार की कार्रवाई, वाद, फरमान, वसूली प्रमाण पत्र, अपील या अन्य कार्यवाही का कोई कारण लंबित है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा या

किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और लागू किया जाएगा:

32 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 (9)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

बशर्ते कि जहां किसी कानून या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या उसके खिलाफ आपराधिक अपराध के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है, तो निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या हस्तांतरणकर्ता बैंक के अन्य कर्मचारी निर्धारित तिथि से पहले, ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे और तदनुसार दंडित किए जाएंगे, जैसे कि हस्तांतरणकर्ता बैंक, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, भंग नहीं किया गया था।"

32. समामेलन की प्रत्येक योजना वैधानिक है और बैंकिंग अधिनियम के तहत स्वीकृत है। इस तरह का समामेलन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जमाकर्ताओं, लेनदारों और अन्य लोगों के हित जिन्होंने बीमारी से पहले पूर्ववर्ती बैंक में निवेश किया था, या ऋण दिया था, और आम जनता की रक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य बैंकिंग उद्योग के व्यापक सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। किसी बैंक के वित्तीय लेनदेन में देर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उस पर "रन" हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल रूप से बुनी गई बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में विश्वास का गंभीर नुकसान हो सकता है। यदि कोई इसे और योजना के समग्र उद्देश्य को देखता है, तो यह बैंक के बकाया की वसूली सुनिश्चित करना और लेनदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि से योजना के खंड 3 (3) पर विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, परंतुक में निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के स्पष्ट उल्लेख का अर्थ है कि यह केवल उस हद तक है कि अभियोजन या अन्य आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है; सामान्य अर्थों में, आपराधिक दायित्व का श्रेय न तो डी. बी. एस. को दिया जा सकता है और न ही इसके निदेशकों को, जिन्हें विलय के बाद लाया गया था, जिनकी नियुक्तियों को आर. बी. आई. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

33. आरोप पत्र, वर्तमान मामले में जिस हद तक प्रासंगिक है, वह इस प्रकार है:

"पीएस-ईओडब्ल्यू, एफ. आई. आर.-189/2019 * * * * *

इसके अलावा, जांच के दौरान, बैंक से प्रमाण पत्र यू/एस 65-बी साक्ष्य अधिनियम के साथ ईमेल की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गईं जो इस प्रकार हैं:

- 217

रिलीगर फाइनवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 218

1. 10.11.16 दिनांकित ईमेल की प्रमाणित संपादित प्रति। 2. 07.01.17 दिनांकित ईमेल की प्रमाणित संपादित प्रति। 3. 09.01.17 दिनांकित ईमेल की प्रमाणित संपादित प्रति। 4. 13.07.17 दिनांकित ईमेल की प्रमाणित संपादित प्रति।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि "हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डी. बी. एस. के साथ एल. वी. बी. के हालिया विलय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2020-2021/647 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने डी. बी. एस. के साथ एल. वी. बी. के समामेलन की योजना की घोषणा की जो 27.11.2020 पर लागू हुई, जिसके बाद एल. वी. बी. ने डी. बी. एस. के साथ समामेलन कर लिया है।

की गई जाँच से यह पता चला कि बैंक अधिकारियों ने आर. ई. एल. के प्रवर्तकों के साथ मिलकर जानबूझकर/जानबूझकर उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जो आर. एच. सी. होल्डिंग लिमिटेड और रॉचेम प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों/अभियुक्तों को लाभान्वित करने के लिए ऋण लेनदेन के लिए अनिवार्य हैं। जमा ऋण को समय-समय पर बढ़ाया जाता था और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता था और अपने स्वयं के बैंक के जमा ऋण के संबंध में नियमावली का पालन नहीं करने और बाद में जब जमा का आह्वान किया जाता है तो उन्होंने जिम्मेदारी को एक-दूसरे पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया। बैंक की आवश्यकता के अनुसार कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं है जो यह स्थापित करता है कि ये आर. एफ. एल. की प्रतिभूति/एफ. डी. आर. एस. के खिलाफ ऋण हैं। यह सामने आया है कि आर. ई. एल. के प्रमोटरों के साथ-साथ आर. एच. सी. होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को आर. एच. सी. होल्डिंग्स लिमिटेड और रॉचेम प्राइवेट लिमिटेड की देनदारियों/उधार को चुकाने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। आरोपी मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह आर. ई. एल. की एफ. डी. के खिलाफ अपनी 100% होल्डिंग कंपनी में ऋण का लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इसके लिए आर. ई. एल. के बोर्ड से संबंधित पक्ष लेनदेन समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह व्यवस्था बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से की गई थी, जिन्होंने अपने स्वयं के एस. ओ. पी. को पारित करके इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाया। इसके अलावा, समय-समय पर ऋण दिए जाते थे और अंततः लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा प्रतिभूति को लागू कर दिया गया है जिससे शिकायतकर्ता कंपनी को 2 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। लगभग 791 करोड़ रु.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अब तक की गई जांच से एल. वी. बी. बैंक (अब डी. बी. एस. बैंक इंडिया लिमिटेड) और बैंक अधिकारियों जैसे (1) अंजनी कुमार वर्मन, (2) एस. वेंकटेश, (3) प्रदीप कुमार और (4) पार्थसारथी मुखर्जी (गिरफ्तारी के बिना) और आरोपी व्यक्तियों मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह, सुनील गोधवानी, हेमंत ढींगरा, कवि अरोड़ा और कंपनी आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रॉचेम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पूरक आरोप पत्र तैयार किया गया है क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश के सदस्य होने के नाते काम किया और एक-दूसरे के साथ बातचीत की और धोखाधड़ी की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कमीशन और चूक के कार्य किए। इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों, कंपनी और आई. पी. सी. की धारा 409/120 बी के तहत बैंक के खिलाफ यह आरोप पत्र कॉलम संख्या में उनके नाम डालकर तैयार किया गया है।¹¹

इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस पूरक आरोप पत्र को कृपया उक्त अभियुक्त के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र के हिस्से के रूप में माना जाए और पीडब्ल्यू की सूचियों में दिए गए पूरे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों को भी मुख्य आरोप पत्र के पूरक के रूप में माना जाए।

17. हां नहीं दिए गए नोटिस का संदर्भ लें: स्वीकार किए जाने की तिथि

18. इस पर भेजा गया:

-एसडी-

34. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अब डी. बी. एस. के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का आपराधिक दायित्व (1) अंजनी कुमार वर्मा, (2) एस. वेंकटेश, (3) प्रदीप कुमार और (4) पार्थसारथी मुखर्जी की कार्रवाई है। वे सभी एल. वी. बी. के अधिकारी थे। आपराधिक कानून में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही, एकीकरण से अप्रभावित है और बनी हुई है। इसलिए, वास्तव में डी. बी. एस. बैंक की कोई संलिप्तता नहीं है, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में किया गया है। इन पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए और बल्कि सतही आधार पर कार्यवाही करते हुए, उच्च न्यायालय, हमारी सुविचारित राय में त्रुटि में पड़ गया।

35. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक जांच या कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, 219 तक

रिलीगर फाइनवेस्ट लिमिटेड बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. के एन. सी. टी. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिन मामलों में इसकी आवश्यकता होती है या इसकी मांग हो सकती है, उन मामलों में उस शक्ति का सहारा लेने से इनकार करना न्याय के प्रति अंधा होना है, जिसे अदालतें वहन नहीं कर सकती हैं। वर्तमान संदर्भ में, बैंकिंग उद्योग में जनता का विश्वास दांव पर था, जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने कदम रखा, और डी. बी. एस. को पूर्ववर्ती एल. वी. बी. के पूरे कामकाज, प्रबंधन परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभालने के लिए कहा। एल. वी. बी. अधिकारियों (जो वास्तव में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं) के कृत्यों के लिए डी. बी. एस. पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से न्याय का उपहास होगा। इसलिए, लंबित आपराधिक कार्यवाही (पी. एस. आर्थिक मामलों की शाखा, नई दिल्ली में दर्ज एफ. आई. आर.-189/2019 से उत्पन्न), जिस हद तक इसमें डी. बी. एस. शामिल है, जो विवादित फैसले का विषय था और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही (डी. बी. एस. की भागीदारी की सीमा तक), इसके द्वारा रद्द कर दी जाती है।³⁶ विवादित निर्णय को तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है; डी. बी. एस. द्वारा अपील की अनुमति दी जाती है; आर. एफ. एल./शिकायतकर्ता द्वारा अपील, उन्हीं कारणों से, खारिज कर दी जाती है। स्व वहन कोई खर्च नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे